राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 मनरेगा)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि / नरेगा / वाकायो 13–14 / 2012 जयपुर, दिनांक : 07 MAR 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **लोकसभा चुनाव 2014 के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन के संबंध में ।**

संदर्भः– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक L–12031 / 1 / 2014–MGNREGA-IV दिनांक 20.02.2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है। आदर्श आचार संहिता के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.02.2014 (प्रति संलग्न) के माध्यम से प्राप्त भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

- जॉब कार्ड धारी परिवारों द्वारा **कार्य की मांग किये जाने** के उपरांत **महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानानुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया** जावे।

- प्रगतिरत कार्यो पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना **संभव नहीं होने** की स्थिति में ही सक्षम अधिकारी द्वारा **अनुमोदित कार्य योजना (Shelf of Project)** में सम्मिलित कार्य ही **जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करते हुए प्रारंभ किये** जा सकते है। इस संबंध में यह **सुनिश्चित किया जावे कि रोजगार की मांग के अनुरूप प्रगतिरत कार्य उपलब्ध होने की स्थिति में नये कार्य प्रारंभ नहीं किये जावे**। नये कार्य प्रारंभ किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को यह **प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य** होगा कि **''प्रगतिरत कार्यो पर जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति नहीं होने के कारण ही नया कार्य प्रारंभ किया गया है''**।

- **जॉब कार्ड** हेतु **आवेदन किये जाने पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005** तथा समय–समय पर जारी तत्संबंधी दिशा–निर्देशों के **प्रावधानुसार जॉब कार्ड जारी किये** जा सकते है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित श्रम बजट के अनुरूप प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति बिना किसी प्रचार–प्रसार के जारी की जा सकती है।
- कार्य के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय (Procurement) आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जा सकेगा।

उक्त दिशा–निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त संदर्भित पत्र के क्रम में जारी किये गये है। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में पत्र के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को देखे अथवा इस कार्यालय को संपर्क करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नवीन जैन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

7/3/14

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस